कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झाँसी, उ0प्र0 ।

संख्या :5362/पी0एम0एस0एस0वाई0/समूह–क/2018–19

दिनांक : 03 नवम्बर 2018

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना फेज–3 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज झाँसी में स्थापित सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय के संचालन हेतु सृजित चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर संविदा के आधार पर सेवायोजन हेतु विज्ञप्ति

राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी के सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय के संचालन हेतु सृजित आचार्य, सह–आचार्य तथा प्रवक्ता के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतद्द्वारा आमंत्रित किये जाते है। इन पदों पर चयन वाक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है, कि वह साक्षात्कार हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ दिनांक 15 नवम्बर 2018 दिन गुरूवार को प्रधानचार्य कार्यालय के समिति कक्ष में समय प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे के मध्य उपस्थित हों। पदों की संख्या नीचे तालिका में दर्शायी जा रही है। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह साक्षात्कार के दिवस को अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों की (स्वप्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडेटा– सहित लायेंगें –:

कम	विशिष्टता का नाम	आचार्य	सह–आचार्य	प्रवक्ता	योग
1	प्लास्टिक सर्जरी	1	1	1	3
2	यूरोलॉजी	1	1	1	3
3	न्यूरोसर्जरी	1	—	—	1
4	न्यूरोलॉजी	1	1	—	2
5	नेफ्रोलॉजी	1	1	—	2
6	कार्डियोलॉजी	1	1	—	2
	कुल योग–	6	5	2	13

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू होगा।

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत् है–

1. शासनादेश संख्या 119/2018/2842/71–2–2018–33/2018 दिनांक 20 सितम्बर 2018 में प्राविधानित सेवानिवृत्त आचार्य को संविदा के आधार पर आचार्य (कन्सलटेन्ट) के रूप में पुर्ननियोजित को एकमुश्त 2,20,000–00 का मासिक पारिश्रमिक प्रदान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें उक्त शासनादेश दिनांक 20 सितम्बर 2018 के अनुसार होंगी।
2. शासनादेश संख्या 4661/71–1–08–जी–63/2008 दिनांक 15–12–2008 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन रू0 90,000–00, सह आचार्य का नियत वेतन रू0 80,000–00, सहायक आचार्य का नियत वेतन रू0 60,000–00 तथा प्रवक्ता का नियत वेतन रू0 50,000–00 प्रतिमाह है। इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तें उक्त शासनादेश दिनांक 15 दिसम्बर 2008 के अनुसार होगी।
3. उपरोक्त पदों हेतु आवेदक को Medical Council of India, Minimum Qualification for teachers in Medical Institution Regulation 1998 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण कना आवश्यक है।
4. उपरोक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 15 दिसम्बर 2008 एवं दिनांक 20 सितम्बर 2018 मेडिकल कालेज की वेबसाइट www.mlbmcj.in एवं महानिदेशालय की वेब साइट www.updgme.in पर उपलब्ध है।
5. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

(साधना कौशिक)
प्रधानाचार्य,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, छटवाँ तल, उ0प्र0 लखनऊ।
3– सम्पादक, दैनिक जागरण, झाँसी को इस अनुरोध के साथ कि अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के दिनांक 05 नवम्बर 2018 के अंक में डी0ए0वी0पी0 दरों पर विज्ञप्ति प्रकाशित करने का कष्ट करें।
4– सम्पादक, दैनिक अमर उजाला, झाँसी को इस अनुरोध के साथ कि अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के दिनांक 05 नवम्बर 2018 के अंक में डी0ए0वी0पी0 दरों पर विज्ञप्ति प्रकाशित करने का कष्ट करें।
5– सम्पादक, दैनिक लोकपथ, झाँसी को इस अनुरोध के साथ कि अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के दिनांक 05 नवम्बर 2018 के अंक में डी0ए0वी0पी0 दरों पर विज्ञप्ति प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6– मेसर्स डी0वी0एस0 टेक्नोलॉजी को इस आदेश के साथ कि विज्ञप्ति को कालेज की वेब साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7– कालेज/चिकित्सालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8– आदेश पुस्तिका ।

(साधना कौशिक)
प्रधानाचार्य,